राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांक 217/भरत./2000–2001

यह प्रमाणित किया जाता है कि

..श्री. महाराणा...प्रताप शिक्षा..समिति..बहताना तह. डीग

जिला ....भरतपुर..........का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28,1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण--पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ..पच्चीस.... माह...जनवरी...... सन् दो हजार...एक.... को ......भरतपुर................ में दिया गया ।

(डी. के. चितकारा)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
भरतपुर

(2)

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाऐ

राजस्थान
(भरतपुर)

क्रमांक :- का0 संस्था उजि / 80 /
दिनांक - 25 - 20

श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
जिला भरतपुर

विषय :- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत सस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में ।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 217/भरत/20... दिनांक ... संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें ।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 वे 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है । जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस मे निम्नलिखित सूचनाएं भेजना जरूरी है :-

1. संस्था के मामलों काव प्रबंध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासको,संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद के
2. एक विवरण पत्र जिसमे उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, मे किये समस्त परिवर्तनो को दिखाया गया हो ।
3. संस्था के नियमो और विनियमों की एवं तातारीख सही प्रतिलिपी जो शासी निकाय के शासको संचालको, न्यासो या सदस्यो मे से कम से कम तीन, द्वारा सही प्रमाणित की गई हो ।

इसके अलावा संस्था के नियमो और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर इस कार्यालय को पहूँच जानी चाहिये ।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4(ख) की ओर आकर्षित दिया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानो का पालन करने मे विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा मे और ऐसे अर्थदण्ड से दंडनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिये जिसमे कि ऐसे अपराध के लिय प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात तक जारी रहती है, पचास रूप से अधिक नही होगा । यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची मे या धारा 4'क' के अधीनरजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमो और विनियमो की या उनमे किये गये परिवर्तनो की प्रतिलेपी मे जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्धि होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रूपये तक हो सकता है ।

नोट :- इस कार्यालय से भविष्य मे किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर ए व वर्ष अंकित करें ।

संलग्न :- मूल प्रमाण पत्र मय विधान नियमावली

(राजेन्द्र) सहायक रजिस्ट्रार
भरतपुर राजस्थान

अध्यक्ष
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
बहताना, तह0- डीग जिला- भरतपुर

श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान पत्र

1- संस्था का नाम — इस संस्था का नाम - श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति/सोसाइटी//संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2- पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र — इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय - ग्राम पोस्ट बहताना तह. डीग जिला भरतपुर है। तथा इसका कार्य क्षेत्र - समस्त राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3- संस्था के उद्देश्य — इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना एवं उनका संचालन करना।
2. छात्र-छात्राओं के लिए महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलना एवं उनका संचालन करना। तथा युवाओं को खेल कूद एव सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना।
3. शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना।
4. शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना।
5. वृद्धा व विकलांग, असहाय महिला एवं पुरुषों के लिए निशुल्क वृद्धा आश्रम खोलना एवं उनका संचालन करना।
6. अकाल राहत, बाढ राहत राष्ट्रीय आपदाओं में भाग लेना एवं पल्स पोलियो प्रौढ शिक्षा को बढावा देना।
7. मैडीकल कालेज एवं इन्जीनीयरिंग कालेज खोलना और उनका संचालन करना।
8. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना।
9. छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास खोलना एवं उनका संचालन करना।
10. फार्मेशी कालेज खोलना एवं संचालन करना।
11. महिलाओं के लिए सिलाई कढाई व बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं उनका संचालन करना है।
12. केन्द्रीय विद्यालय खोलना एवं उनका संचालन करना।
13. लैब टैक्नीशियन ट्रेनिंग सेण्टर खोलना एवं उनका संचालन करना।
14- जिम एव फिटनेस सेन्टर खोलना एवं उनका संचालन करना
15 छात्र छात्राओं के लिए विधि महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

मंत्री — कोषाध्यक्ष — अध्यक्ष

अध्यक्ष श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति बहताना, तह. डीग जिला-भरतपुर

(5)

4 - संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1.	रविन्द्र पाल सिंह परमार S/o श्री नेमसिंह परमार	वकालत	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	अध्यक्ष	RPSParmar
2.	रजनी D/o इकबाल सिंह	गृहणी	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	उपाध्यक्ष	रजनी
3.	लक्ष्मण प्रसाद शर्मा S/o श्री [illegible] शर्मा	कृषक	ग्रा.पो. [illegible] थून तह. डीग (भरतपुर)	मन्त्री	[illegible]
4.	प्रेमसिंह परमार S/o मान सिंह परमार	[illegible]	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	कोषाध्यक्ष	प्रेमसिंह
5.	श्याम बिहारी S/o पदम सिंह	कृषक	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	उपमन्त्री	श्यामबिहारी
6.	हरी सिंह S/o ध्यान सिंह	कृषक	ग्रा.पो. कैथरी, तह. सैपऊ (धौलपुर)	सदस्य	हरीसिंह
7.	कमलेश S/o ठाकुरदास	कृषक	" "	"	कमलेश
8.	जोगेश्वर सिंह S/o गोकुल सिंह	कृषक	" "	"	जोगेश्वरसिंह
9.	शंकर पाल सिंह S/o जगन्नाथ सिंह	वकालत	ग्रा.पो. मांढेरा, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	शंकरपाल सिंह
10.	श्रीमती रेखा W/o श्री जीतेन्द्र सिंह	कृषक	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	रेखा
11.	श्रीमती जनककुमारी W/o श्री नेमसिंह	गृहणी	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	जनककुमारी
12.	अशोक कुमार S/o श्री मोती सिंह	दुकानदार	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	अशोक
13.	गंगा राम S/o शोभाराम	कृषक	" "	"	गंगाराम
14.	गोपाल सिंह S/o श्री बलजीत सिंह	कृषक	ग्रा.पो. बडोदा मेव, तह. लक्ष्मणगढ (अलवर)	सदस्य	गोपाल
15.	श्रीमती गीता W/o भोलाराम	गृहणी	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	गीता
16.	माधव सिंह S/o मोती सिंह	कृषक	" "	"	माधव
17.	देवकीनन्दन S/o नवली राम	कृषक	ग्रा.पो. बहताना तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	देवकीनन्दन

[signature]
मन्त्री

[signature]
कोषाध्यक्ष

RPSParmar
अध्यक्ष अध्यक्ष
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
बहताना, तह. डीग जिला-भरतपुर

(5)

5 - हम निम्न हस्ताक्षरर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1.	रविन्द्र पाल सिंह परमार S/o श्री नेमसिंह परमार	वकालत	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	अध्यक्ष	RPS Parmar
2.	रजनी D/o इकबाल सिंह	गृहणी	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	उपाध्यक्ष	रजनी
3.	लक्ष्मण प्रसाद शर्मा S/o श्री श्रीचन्द शर्मा	कृषक	ग्रा.पो. जाटौली थून तह. डीग (भरतपुर)	मन्त्री	[signature]
4.	प्रेमसिंह परमार S/o मान सिंह परमार	कृषक	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	कोषाध्यक्ष	[signature]
5.	श्यामबिहारी S/o पदम सिंह	कृषक	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	उपमन्त्री	[signature]
6.	हरी सिंह S/o ध्यान सिंह	कृषक	ग्रा.पो. कैथरी, तह. सैपऊ (धौलपुर)	सदस्य	[signature]
7.	कमलेश S/o ठाकुरदास	कृषक	" "	"	कमलेश
8.	जोगेश्वर सिंह S/o गोकुल सिंह	कृषक	" "	"	जोगेश्वर सिंह
9.	शंकर पाल सिंह S/o जगन्नाथ सिंह	वकालत	ग्रा.पो. मांढेरा, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	शंकर पाल सिंह
10.	श्रीमती रेखा W/o श्री जीतेन्द्र सिंह	कृषक	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	रेखा
11.	श्रीमती जनकदुलारी W/o श्री नेमसिंह	गृहणी	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	जनकदुलारी
12.	अशोक कुमार S/o श्री मोती सिंह	दुकानदार	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	अशोक
13.	गंगा राम S/o शोभाराम	कृषक	" "	"	गंगाराम
14.	गोपाल सिंह S/o श्री बलजीत सिंह	कृषक	ग्रा.पो. बडोदा मेव, तह. लक्ष्मणगढ (अलवर)	सदस्य	गोपाल
15.	श्रीमती गीता W/o भोलाराम	गृहणी	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	गीता
16.	माधव सिंह S/o मोती सिंह	कृषक	" "	"	माधव
17.	देवकीनन्दन S/o नवली राम	कृषक	ग्रा.पो. बहताना तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	देवकी नन्दन

[signature] मन्त्री

[signature] कोषाध्यक्ष

RPS Parmar अध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
बहताना, तह. डीग जिला- भरतपुर

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
18.	सुरजन सिंह S/o जनक सिंह	कृषक	ग्रा.पो. खारेडा, तह. राजगढ़ (अलवर)	सदस्य	सुरजन सिंह
19.	कमल सिंह S/o बहादुर सिंह	कृषक	ग्रा.पो. खारेडा, तह. राजगढ़ (अलवर)	सदस्य	कमलसिंह
20.	छण्णू सिंह S/o सौदान सिंह	कृषक	" "	"	छण्णू सिंह
21.	जगदीश परमार S/o जयराम	कृषक	ग्रा.पो. कैथरी, तह. सैपऊ (धौलपुर)	सदस्य	जगदीश
22.	रजनीश सिंह S/o रूपसिंह	कृषक	" "	"	रजनीश
23.	नवाब सिंह S/o वहादुर सिंह	कृषक	" "	"	नवाबसिंह
24.	कप्तान सिंह S/o रूपसिंह	कृषक	ग्रा.पो. बहताना, तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	कप्तानसिंह
25.	हुक्म सिंह S/o गंगा सिंह	कृषक	ग्रा.पो. बहतना तह. डीग (भरतपुर)	सदस्य	हुकमसिंह

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

डा. नन्दलाल मीना
चिकित्सा अधिकारी डीग

दिनेश कटारा
विकास अधिकारी डीग

जिला ... भरतपुर (राज.)

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता) चिकित्सा अधिकारी
प्रा. स्वा. केन्द्र
डीग (भरतपुर)

2. हस्ताक्षर
विकास अधिकारी
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
पंचायत समिति डीग (भरतपुर)

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
बहताना, तह. डीग जिला-भरतपुर

7

नाम संस्था- श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान नियमावली

1- संस्था का नाम	इस संस्था का नाम - श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति/ सोसाइटी//संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2- पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय - ग्राम-पोस्ट बहताना तह. डीग जिला भरतपुर है। तथा इसका कार्य क्षेत्र - समस्त राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3- संस्था के उद्देश्य	इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना एवं उनका संचालन करना।
2. छात्र-छात्राओं के लिए महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलना एवं उनका संचालन करना। तथा युवाओं को खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्य हेतु कार्यक्रम
3. शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना।
4. शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना।
5. वृद्धा व विकलांग, असहाय महिला एवं पुरूषों के लिए निशुल्क वृद्धा आश्रम खोलना एवं उनका संचालन करना।
6. अकाल राहत, बाढ राहत राष्ट्रीय आपदाओं में भाग लेना एवं पल्स पोलियो प्रौढ शिक्षा को बढावा देना।
7. मैडीकल कालेज एवं इन्जीनीयरिंग कालेज खोलना और उनका संचालन करना।
8. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना।
9. छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास खोलना एवं उनका संचालन करना।
10. फार्मेशी कालेज खोलना एवं संचालन करना।
11. महिलाओं के लिए सिलाई कढाई व बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं उनका संचालन करना है।
12. केन्द्रीय विद्यालय खोलना एवं उनका संचालन करना।
13. लैब टैक्नीशियन ट्रेनिंग सेण्टर खोलना एवं उनका संचालन करना।
14. जिमनेजियम एवं फिटनेस सेन्टर खोलना एवं संचालन करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

15 छात्र छात्राओं के लिए विधि महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
बहताना,तह० डीग जिला-भरतपुर

7- सदस्या से निष्कासन :- संस्था से सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1- मृत्यु होने पर
2- त्याग-पत्र देने पर
3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4- प्रबन्ध कारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जायेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8- साधारण सभा :- संस्था के उप नियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9- साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :-

1- प्रबन्ध कारिणी का चुनाव करना।
2- वार्षिक बजट पारित करना।
3- प्रबन्ध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन अथवा परिवर्तन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)।

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष
महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
[illegible]

⑦

(5)

4- सदस्य

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-

1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2- बालिग हो।

3- पागल, दीवालिये न हों।

4- संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5- सदस्यों का वर्गीकरण

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

~~1- संरक्षक~~

~~2- विशिष्ट~~

~~3- सम्माननीय~~

4- साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6- सदस्यों द्वारा प्रवेश शुल्क व चन्दा

उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

~~1- संरक्षक~~	राशि ....X..........	वार्षिक आजन्म
~~2- विशिष्ट~~	राशि ....X..........	वार्षिक/आजन्म
~~3- सम्माननीय~~	राशि ....X..........	वार्षिक
4- साधारण	राशि .201/-......	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रू० ....201/ मात्र.... मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति

बहताना, तह0 ... जिला- ...पुर

(9)

(10)

10- साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेषतया अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक की कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11- कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

RPS Parmar
अध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
बहताना, तह० [illegible] जिला-[illegible]

1. अध्यक्ष - (एक) 2. उपाध्यक्ष - (एक)

3. मन्त्री - (एक) 4. उपमन्त्री

5. कोषाध्यक्ष - (एक) 6. सदस्य । 12

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावे, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 5 पदाधिकारी व 12 सदस्य कुल 17 सदस्य होंगे।

12- कार्यकारिणी का निवार्चन :-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13- कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी व कर्त्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

महाराणा प्रताप शिक्षा समिति

(11)

(12)

14- कार्यकारिणी की बैठक :-

1- कार्यकारणी की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्कता नही होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्य वाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15- प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
बहताना, तह0 ... जिला- ...

(12)

(13)

2- उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मन्त्री

1. बैठकें आहूत करना।

2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3. आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4. वेतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6. पत्र व्यवहार करना।

7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमन्त्री

1. मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5- कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।

2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

RP उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
महताना, तह० ... जिला- ...

16- संस्था कोष - संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

(1)- उक्त प्रकार में संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

(2)- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17- कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

1- अध्यक्ष ....2,00,000.......... रु0
2- मन्त्री ....75000.......... रु0
3- कोषाध्यक्ष ....60,000.......... रु0

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा ही की जावेगी।

18- संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। तथा अंकेक्षण की एक प्रति प्रतिवर्ष श्रीमान रजिस्ट्रार संस्थायें कार्यालय को भेजी जायेगी।

19- संस्था के विधान में परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 158 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

मन्त्री   कोषाध्यक्ष   अध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति
बहताना, तह0 [illegible] जिला-[illegible]

(15)

(14)

20- संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21- संस्था के लेखे-जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाएं भरतपुर एवं उनके द्वारा अधिकृत को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा। उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

22. धारा 4 की सूचनाओं का प्रावधान :- संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों के नाम व पते में परिवर्तन की तत्काल सूचना प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार संस्थाएं भरतपुर को भेजी जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति बहताना (डीग) समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है -

पंजीयन क्रमांक 201/भरत/ /2000-2001

संस्था का नाम श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति बहताना

दिनांक पंजीयन 25/ /2001

रजिस्ट्रार

(रजिस्ट्रार संस्थाएं)

भरतपुर (राज.)

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति

बहताना, तह० डीग जिला-भरतपुर

कार्यालय उप रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार संस्थायें सहकारी समितियां, भरतपुर(राज०)

क्रमांक :– 301 दिनांक :– 07/08/2020

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 4–क के अन्तर्गत)

नोटिस

श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति

बदलाना, डीग।

आपका ध्यान श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक फा.सविरा/रजि०/मिस/2/59/पार्ट–3 दिनांक 09–04–2012 राजस्थान पत्रिका दिनांक 12–04–2012 में प्रकाशित विज्ञप्ति सार्वजनिक सूचना की ओर आकर्षित कर जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 के अनुसार उक्त अधिनियमान्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना [illegible] के भीतर संस्था के सौंपे गये काम काज के प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो सम्बन्धित पदाधिकारियों के नाम व पते और उपजीविकाएं अंकित हों, की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा [illegible] के अन्तर्गत धारा 4 मे वर्णित सूची के साथ ही संस्था के सदस्य /पदाधिकारियों एवं विधान/नियमावली में उस वर्ष हुए परिवर्तनों के विवरण संस्था के पदाधिकारिय द्वारा हस्ताक्षरित हो भी रजिस्ट्रार संस्थायें को 15 दिवस के भीतर प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 4–ख के अनुसार यदि किसी संस्था का अध्यक्ष, सचिव या अन्य प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो कि अधिनियम की धारा 4 एवं 4–क कीपालना किये जाने के लिए दायित्वाधीन है, उक्त धारा 4 एवं 4–के उपबन्धों के अंतर्गत रजिस्ट्रार संस्थायें को सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह दोष सिद्ध होने पर 500/– रु तक के आर्थिक दण्ड का भागीदार हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोष सिद्व के पश्चात् प्रति 50/– रु अनधिक आर्थिक दण्ड अधिरोपित किये जाने के भी प्रावधान हैं।

इसी प्रकार उक्त धारा 4–ख की उप धारा 2 के अनुसार यदि कोई संस्था की ओर से सूचनाओं सम्बन्धी विवरण में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है तो 2000/– रु तक के अर्थ दण्ड के लिए दण्डनीय है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप अपनी संस्थ में सम्बन्धित उक्त अधिकनयमान्तर्गत वांछित सूचानएं वर्ष 2018–2019 तक की एवं संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा प्रति वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रस्तुत करना भविष्य में सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिनियम की धारा 4–ग के प्रावधानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 07/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें

रजिस्ट्रार संस्थाएं

भरतपुर (राज०)

रजि० 217/भरत/2000–2001

संस्था का नाम : **श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति , ग्रा०पो०– बहताना,तह०–डीग ,भरतपुर**

19.06.2020 (तुलनात्मक पत्र)

क्र. स.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम (पुराना)	विधान में संशोधित नियम (नया)
1.	3	पूर्व प्रावधान नहीं	1. संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने हेतु चन्दा ,दान ,अनुदान ,सहायता ,देशी विदेशी एजेन्सियों से दानदाताओं से जन प्रतिनिधियों से व सरकारी गैर सरकारी विभागों से प्राप्त करेगी तथा बैकएवं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करेगी। एंव बैकमें एफ.डी करवाना एवं उन पर लोन लेना व निरस्त कराना। 2. संस्था मूक –बधिर विद्यालय ,महाविद्यालय एंव शिक्षक – प्रशिक्षण संस्थान खोलना व संचालन करना। 3. पशुधन सहायकएवं पशु चिकित्सक महाविद्यालय खोलना व संचालन करना। 4. अल्पसंख्यकविद्यालय ,महाविद्यालय एंव शिक्षक –प्रशिक्षण संस्थान खोलना व संचालन करना एवं अल्पसंख्यकव अन्य छात्रावासों का संचालन करना। (उपरोक्त उद्देश्यों में कोई भी लाभ निहित नहीं है)
2.	11	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगें :– 1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष– एक 3. मंत्री –एक 4. कोषाध्यक्ष–एक 5. उपमंत्री –एक 6. सदस्य– बारह इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में **पाँच** पदाधिकारी व **बारह** सदस्य कुल **सत्रह** सदस्य होंगें।	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगें :– 1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष– एक 3. मंत्री –एक 4. कोषाध्यक्ष–एक 5. उपमंत्री –एक 6. सदस्य– सात इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में **पाँच** पदाधिकारी व **सात** सदस्य कुल **बारह** सदस्य होंगें।
3.	11 अ	पूर्व प्रावधान नहीं	शैक्षिक संस्थान के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शैक्षिक संस्थान की प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे। 1. अध्यक्ष–एक 2. उपाध्यक्ष–एक 3. मंत्री –एक 4. कोषाध्यक्ष–एक 5. उपमंत्री –एक 6. सदस्य– सात 7. मनोनीत सदस्य– सात **1. छात्र प्रतिनिधि 2. अभिभावक प्रतिनिधि 3. स्टाफ प्रतिनिधि 4. शिक्षा विज्ञप्रतिनिधि –दो 5. महाराजा**

सहायक रजिस्ट्रार संस्थाएं सहकारी समितियां भरतपुर

ROJ Romm

③

विधान संशोधन पंजीकृत दिनांक 07/08/2020	सूरजमल बृज विश्वविद्यालय ,भरतपुर का प्रतिनिधि 6. विभागीय प्रतिनिधि जिशिअ भरतपुर इस प्रकार शैक्षिक संस्थान की प्रबन्धकारिणी में पाँच पदाधिकारी व सात सदस्य व मनोनीत सात सदस्य कुल उन्नीस सदस्य होंगे।

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
भरतपुर (राज०)

सचिव

कोषाध्यक्ष

रजि० 217/भरत/2000–2001

संस्था का नाम : **श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति , ग्रा०पो०– बहताना,तह०–डीग ,भरतपुर**

(वर्तमान कार्यकारिणी)

साधारण सभा दिनांक **19.06.2020** को प्रबन्ध कार्यकारिणी का निर्वाचन कर निम्न प्रकार नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया।

क्र.सं.	नाम– पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्री रविन्द्र पाल सिंह परमार पुत्र श्री नेम सिंह परमार	वकालत	ग्रा.पो.बहताना , तह०–डीग ,भरतपुर	अध्यक्ष
2.	रजनी पुत्री श्री इकबाल सिंह	गृहणी	ग्रा.पो.बहताना ,तह०–डीग ,भरतपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री योगेन्द्र पाल पुत्र श्री अमरचंद	कृषि	सतवास ,भरतपुर	मंत्री
4.	श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री पदम सिंह	कृषक	ग्रा.पो.बहताना, तह०–डीग, भरतपुर	उपमंत्री
5.	श्री प्रेमसिंह परमार पुत्र श्री मानसिंह परमार	कृषक	ग्रा.पो.बहताना ,तह०–डीग ,भरतपुर	कोषाध्यक्ष
6.	श्री हरी सिंह पुत्र श्री ग्यान सिंह X	कृषक	ग्रा.पो.कैथरी, तह.सैपऊ ,धौलपुर	सदस्य
7.	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री दलजीत सिंह	कृषक	ग्रा.पो.बडौदा मेव ,तह०–लक्ष्मणगढ, अलवर	सदस्य
8.	श्रीमती रेखा पत्नी श्री जीतेन्द्र सिंह X	कृषक	ग्रा.पो.बहताना ,तह०– डीग , भरतपुर	सदस्य
9.	श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री मानकचन्द सैनी	गृहणी	कोर्ट केपीछे ,देहली गेट ,कामां,भरतपुर	सदस्य
10.	श्रीमती लक्ष्मी देवी भदौरिया पत्नी श्री नीलम सिंह भदौरिया	गृहणी	135/356, नया बास ,छतरी विद्यालय केपास ,अलवर	सदस्य
11.	श्रीमती सहरूना पत्नी श्री शौकीन	गृहणी	मूसेपुर, भरतपुर	सदस्य
12.	श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री श्याम सुन्दरपाल सिंह X	गृहणी	माढेरा, भरतपुर	सदस्य

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
भरतपुर (राज०)

हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष